मॉड्यूल 6: बच्चों की वैकल्पिक देखरेख

सत्र 2: किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान– परिभाषा, गठन एवं उद्देश्य

अवधि: 8:26 मिनट

मॉड्यूल 6: किशोर न्याय अधिनियम के तहत बाल देखरेख संस्थान (सीसीआई)

सत्र 2: किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थान– परिभाषा, गठन एवं उद्देश्य

किशोर न्याय अधिनियम में बच्चों के संस्थागत देखरेख के लिए संस्थागत ढांचा बनाने का प्रावधान है। इस सत्र में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ये संस्थान क्या हैं, उनके कार्य करने की प्रक्रियाएं क्या हैं और वे बच्चों के पुनर्वास का कार्य कैसे करते हैं।

इस सत्र के अंत में आप यह बताने में सक्षम होंगे कि:

- बाल देखरेख संस्थान क्या हैं?
- किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अनुसार विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों की विशेष ताएं
- विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों के कार्य तथा प्रक्रियाएं
- संस्थानों के प्रबन्धन और अनुश्रवण की कार्य पद्धति
- विभिन्न बाल देखरेख संस्थानों के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आईए इस भाग की शुरूआत महान रंग भेद विरोधी और क्रांतिकारी तथा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मण्डेला के इन शब्दों से करें

"समाज की आत्मा का स्पष्ट प्रकटीकरण किसी अन्य तरीके से नहीं हो सकता, इसके अलावा कि वह समाज अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है"– नेल्सन मण्डेला

अन्य बाल संरक्षण सेवाओं के साथ–साथ बाल देखरेख संस्थानों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे समाज में बच्चों के साथ गरिमा, स्नेह और देखभाल युक्त व्यवहार किया जाए।

आईए, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन, 1989 (यू एन सी आर सी) की प्रस्तावना के इस अंष को भी पढ़ें

"यह मानते हुए कि बच्चे के व्यक्तित्व के पूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण विकास हेतु बच्चे का पालन–पोषण पारिवारिक वातावरण में होना चाहिए जहाँ खुषी, प्रेम एवं पारस्परिक समझ का माहौल हो।"

बाल देखरेख संस्थान, देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों (सी एन सी पी) तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को, जो पारिवारिक वातावरण में नही रह सकते, उन्हें एक खुशनुमा, प्यार भरा तथा देखभाल युक्त वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सत्र का अवलोकन

इस सत्र में हम इन बाल देखरेख संस्थानों के कार्यों तथा प्रक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें बच्चों का पुनर्वास भी शामिल है।

किशोर न्याय अधिनियम के तहत देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए अलग–अलग बाल देखरेख संस्थानों की व्यवस्था की गयी है। अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बच्चों को संस्थागत देखरेख में रखना अंतिम विकल्प होना चाहिए। बच्चों को संस्थानों में तभी रखना चाहिए जब उन्हें उनके माता–पिता के पास या परिवार में पुनर्स्थापन करना उनके सर्वोत्तम हित में न हो।

उदाहरण के लिए, संस्थागत देखरेख उन बच्चों के लिए आवश्यक है जिनके माता–पिता नहीं हैं या जिनके माता–पिता उन्हें पालने के काबिल नहीं हैं या जिनके माता–पिता अपने बच्चो ंकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं या असमर्थ हैं।

ऐसी परिस्थिति में बाल कल्याण समिति बच्चे को सरकार द्वारा चलाए जा रहे या सरकार द्वारा पंजीकृत (किशोर न्याय अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत पंजीकृत) बाल गृह में रखने का आदेश दे सकती है।

सत्र का अवलोकन

किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के बच्चों के आवासीय देखभाल के लिए कई विकल्प प्रदान किए गए हैं। मोटे तौर पर आवासीय श्रेणियों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है:

गृह – कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए पर्यवेक्षण गृह (Observation Home), विशेष गृह (Special Homes), तथा सुरक्षित स्थान (Place of Safety) और देखरेख तथा सुरक्षा के ज़रूरतमंद बच्चों के

लिए बाल गृह (Childrens Home),मुक्त आश्रय (Open Shelter), उपयुक्त सुविधा (Fit Facility), उपयुक्त व्यक्ति (Fit Person) जो बच्चों को समुदाय आधारित देखभाल उपलब्ध कराते हैं। यह दत्तक–ग्रहण (Adoption), पालक देखरेख (Foster Care) और प्रायोजन (Sponsorship) से भिन्न हैं जो गैर संस्थागत देखभाल की श्रेणी में आते हैं।

किशोर न्याय अधिनियम की धारा 46 के तहत संस्थान छोड़ने वाले बच्चों की पश्चात्वर्ती देखरेख (After Care) के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत कोई भी बच्चा जो 18 वर्ष पूर्ण करने के बाद बाल देखरेख संस्थान छोड़कर

जाता है उसे समाज की मुख्य धारा में पुनः शामिल होने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इन सभी बातों पर आने वाले भागों में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

बाल देखरेख संस्थान क्या हैं?

"बाल देखरेख संस्थान का आषय है बाल गृह, मुक्त आश्रय गृह , पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष ीकृत दत्तक–ग्रहण अभिकरण और उपयुक्त सुविधा जो ज़रूरतमंद बच्चों को देखभाल तथा संरक्षण की सेवाएं प्रदान करने के लिए इस अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त है।" (धारा 2 (21) किशोर न्याय अधिनियम 2015)

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को आवासीय देखरेख और संरक्षण पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह तथा सुरक्षित स्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है।

संस्थानों का अनिवार्य पंजीकरण (धारा 2 (51) एवं 41)

किशोर न्याय अधिनियम इस बात की अनुमति देता है कि बच्चों के लिए सुविधाएं सरकारी या गैर सरकारी, दोनों तरह की संस्थाओं द्वारा स्थापित किया जा सकता है। तथापि कानून के अनुसार प्रत्येक बाल देखरेख संस्थान चाहे वे कानून के उल्लंघन करने वाले बच्चों के लिए हों या देखरेख और संरक्षण के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए हों, सभी संस्थानों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत इस अधिनियम के लागू होने के छः माह के अंदर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण की अनिवार्यता सभी संस्थानों के लिए है चाहे वे संस्थान सरकार द्वारा संचालित हैं या स्वैच्छिक या गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित है। उन संस्थानों को भी पंजीकरण कराना अनिवार्य है जो सरकारी निधि प्राप्त नहीं कर रहे हैं।

पंजीकरण प्राप्त करना एक दायित्व है अधिकार नहीं

राज्य सरकार पंजीकरण के लिए मना कर सकती है या उसे रोक सकती है। ऐसी स्थिति में जब संस्थान कानून द्वारा निर्धारित तथा नियमों में बताए गए आवष्यक मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो पंजीकरण को रद्द करना राज्य सरकार का दायित्व है। अगर किसी संस्थान का पंजीकरण रद्द हो जाता है तो संस्थान का प्रबन्धन तब तक राज्य सरकार के पास रहेगा जब तक कि पंजीकरण न दे दिया जाए या नवीनीकरण न कर दिया जाए। यह इसलिए जरूरी है ताकि संस्थान में रह रहे बच्चों को इधर–उधर भेजना न पड़े और उनकी देखभाल तब तक सही तरीके से होती रहे जब तक कोई आवष्यक सुधारात्मक कदम न उठा लिया जाए।

बाल देखरेख संस्थान क्या हैं तथा इन संस्थानों के पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है यह जानने के बाद, आईए अब इस बात पर चर्चा करें कि बाल देखरेख संस्थानों का पंजीकरण न करवाने पर क्या जुर्माना लगता है (धारा 42)।

किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार जो व्यक्ति संस्थान के प्रभारी हैं और जो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 की उपधारा (1) का अनुपालन करने में असफल रहते हैं उन्हें एक वर्ष तक के कारावास की सज़ा हो सकती है या एक लाख रूपये से अधिक का दण्ड या दोनों सज़ा दी जा सकती है। चूँकि यह जारी रहने वाला (Continuing) अपराध है, इसलिए संस्थान की स्थापना या पंजीकरण के नवीनीकरण की नियत तिथि से प्रार्थना पत्र बढ़ाने में 30 दिन का विलम्ब होना एक अलग अपराध माना जाएगा। अतः यदि कोई संस्थान पंजीकरण का आवेदन 90 दिन तक नहीं करता है तो इसे पंजीकरण न कराने का तीन बार कारित अपराध माना जाएगा।

'प्रभारी' का आषय है बाल देखरेख के प्रबन्धन और नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति।